~~2019/00024~~ 2018/00183

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 24/2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

श्री नीरज पुत्र रमेशचन्द, लोचन, प्रभा, सपना कुमारी पुत्रियां रमेशचन्द, राधाबाई बेवा रमेशचन्द्र हि. बराबर महाजन सा0 खातोली गैर खातेदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– श्री विजय सिंघल (अभिभाषक अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 30.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम भोपालगंज तहसील पीपल्दा के गत खसरा नम्बर 112 हाल खसरा नम्बर 487/261 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में खाता नम्बर 224 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम भोपालगंज तहसील पीपल्दा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2009–2028 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 224 सम्वत् 2071–2074 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी नीरज की ओर से श्री विजय सिंघल एड0 का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त आराजी ख0 नं0 487/261 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम भोपालगंज तहसील पीपल्दा अप्रार्थी

क्रम 1 एवं अन्य सहखातेदारान के नाम खातेदारी मे दर्ज होना रिकार्ड के अधीन स्वीकार है । उक्त आराजी की किस्म नहरी प्रथम दर्ज होना स्वीकार है । अप्रार्थीगण के पिता रमेशचन्द को आवंटित उक्त आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दूल रहमान बनाम सरकार मे पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 से प्रभावित होना अस्वीकार है । विशेष आपत्तियों मे तथ्य अंकित किये कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है । उक्त आराजी की किस्म नहरी प्रथम दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित की गई थी और उक्त आवंटन को चुनौति दिये बिना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत खाता सं0 224 सम्वत 2071 से 74 की प्रविष्ठि का निरस्त कर आराजी को खातेदारी राज्य सरकार के हित मे किये जाने हेतु प्रस्तुत पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण सं0 37/12 मे दिनांक 16.04.2015 को आदेश पारित कर रिमाण्ड किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिस आदेश मे माननीय न्यायालय द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पुनः जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के क्रम में कोई कार्यवाही नही की गई है, न ही उक्त आदेश मे दिये गये निर्देशों की पालना ही की गई है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनाा पत्र खारिज किये जाने योग्य है । अप्रार्थीगण एवं उसके पूर्वज उक्त आराजी पर कई वर्षो से काबिज काश्त है तथा नियमित रूप से काश्त कर रहे है तथा लगान, कडता अदा कर रहे है । चूंकि आवंटन एवं सेटलमेन्ट की कार्यवाही को प्रस्तुत प्रकरण मे कोई चुनौति नही दी गई है । इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

4. प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करनें उपरान्त यह पाते है कि ग्राम भोपालगंज तहसील पीपल्दा के गत खसरा नम्बर 112 हाल खसरा नम्बर 487/261 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में खाता नम्बर 224 पर उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम भोपालगंज तहसील पीपल्दा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2009–2028 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8. 2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 224 सम्वत् 2071–2074 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा